छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क्र. 975 /PFMS/ब-4/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 / 10 /2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय:- केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) में राशि विमुक्ति की संशोधित प्रक्रिया।

सन्दर्भ:-भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का ज्ञाप क्रमांक F.No. 1 (13) / PFMS / FCD / 2020 दिनांक 23/03/2021 एवं छ.ग. शासन वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. 245//PFMS/ब-4/चार, दिनांक 22/06/2021

---ooo---

भारत सरकार के संदर्भित कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 23/03/2021 द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की राशि विमुक्त करने संशोधित प्रक्रिया लागू की गई है। वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 22/06/2021 के द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशानुसार केंद्र प्रवर्तित योजना हेतु SNA व IAs के बैंक खाता खोलने के लिए 31 जुलाई, 2021 तक वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

वर्तमान में कतिपय विभागों से केंद्र प्रवर्तित योजना हेतु बैंक खातें खोलने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है। अतः बैंक खातें खोलने की अनुमति की समय सीमा को बढाने हेतु ज्ञाप दिनांक 22/06/2021 के कंडिका 5 में दिनांक **'31 जुलाई, 2021'** को दिनांक **'31 अक्टूबर, 2021'** से **प्रतिस्थापित** किया जाता है। **साथ ही** विभागों को निर्देशित किया जाता है समय सीमा के भीतर पी.एफ.एम.एस. के अंतर्गत केंद्र **प्रवर्तित योजना** में राशि विमुक्ति की संशोधित प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही अनिवार्यतः **पूर्ण करें।**

8/10

(शारदा वर्मा)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. 976 /PFMS/ब-4/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 / 10 /2021

प्रतिलिपि,

1. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के स्टाफ आफिसर
3. विशेष सचिव / अपर सचिव / बजट संचालक, वित्त विभाग के निज सहायक
4. समस्त संयुक्त सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग

5. समस्त अवर सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / शोध अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
6. राज्य नोडल अधिकारी, पी.एफ.एम.एस.,एस.पी.एम.यू., ब्लाक 1 प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
7. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञानं केंद्र (NIC), महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल **नगर**
8. **प्रोग्रामर**, कंप्यूटर शाखा, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट में अपलोड हेतु

8/10/2024.

(ऋषभ पराशर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग